न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 04/2024
3. उनवान : ग्राम पंचायत ढाणी बोराज पंचायत समिति दूदू तहसील फुलेरा जिला जयपुर जरिये ग्राम विकास अधिकारी।

–निगरानीकार

बनाम

चुकी देवी पत्नी श्री नानूराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम ढाणी बोराज तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

–विपक्षी/गैरनिगरानीकार

4. निर्णय दिनांक : 18/11/2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री मदनलाल कुडी एवं गोपाल लाल बाना निगरानीकार की ओर से।

निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994

निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि विपक्षी संख्या 1 ने आवेदन मय शपथ पत्र पट्टा चाहने बाबत् भूमि खसरा नम्बर 1235/1057 स्थित भूमि जो बाडे के काम में ली जा रही है, ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया, जिसको ग्राम पंचायत द्वारा दर्ज कर पत्रावली प्रारम्भ कर पंचायती राज प्रावधानों के तहत नियमानुसार पट्टा जारी होने के लिये कार्यवाही प्रारम्भ की, जिसमें हल्का पटवारी से रिपोर्ट तलब कर पंचायत नियमों के अनुसार अप्रार्थी को अपीलाधीन पट्टा संख्या 16 दिनांक 25/05/2017 को 212.33 वर्गगज का जारी किया गया। जिसके संदर्भ में ग्राम के ही व्यक्ति द्वारा शिकायत करने पर उक्त अपीलाधीन पट्टे की विभिन्न स्तर पर जांच की जाकर तहसीलदार द्वारा उक्त पट्टे की जगह को आबादी भूमि में नहीं मानकर गैर मुमकिन बाडा खसरा नम्बर 1058 जो दीगर व्यक्ति मूलचन्द पुत्र दूलाराम वगैरह के नाम दर्ज है, जिसका पट्टा पंचायती राज प्रावधानों के अनुसार जारी नहीं किया जा सकता, के संबंध में विकास अधिकारी दूदू द्वारा उक्त अपीलाधीन पट्टे को निरस्त करने बाबत् अपने पत्र क्रमांक/पसंदू जांच/2019–20/689 दिनांक 6/4/2021 के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ढाणी बोराज को उक्त अपीलाधीन पट्टे को निरस्त करने बाबत् निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। चूंकि जारी पट्टा विपक्षी संख्या 1 ने वास्तविक तथ्यों को जानते हुये जानबुझकर छुपाकर उक्त अपीलाधीन आदेश नियम विरुद्ध पारित करवा लिया। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत/निगरानीकार ने कौरम के व विपक्षी संख्या 1 के विश्वास पर चूंकि मौके पर काफ़ी आबादी बसी हुई हैं और उक्त जारी पट्टा को हल्का पटवारी रिपोर्ट के अनुसार आबादी में मानते हुये उक्त पट्टा विपक्षी संख्या 1 को जारी कर दिया गया, जो कि भूमि खसरा नम्बर 1058 की सीमा खसरा नम्बर 1235/1057 में शामिल होने के कारण आबादी में होना मानकर जारी कर दिया गया। उक्त निगरानीधीन पट्टा सहवन से और आवेदनकर्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन व शपथपत्र पर विश्वास कर कौरम द्वारा भी इन तथ्यों पर विश्वास कर मौके आदि का अवलोकन कर चूँकि आबादी और गै०मु० बाडा की भूमि की सीमा का निश्चित चिन्हित नहीं होने के कारण स्पष्ट रूप से आबादी भूमि होना जाहिर तथा हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आबादी में ही होना मानकर उक्त निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया है। विकास अधिकारी पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/पंसदू जांच/2019–20/689 दिनांक 6/4/2021 के द्वारा उक्त विधि विरुद्ध पट्टों को निरस्त करने बाबत् ग्राम पंचायत की ओर से निगरानीयां प्रस्तुत कर जारी पट्टो को निरस्त कराने की स्वीकृत प्रदान की हैं। जिसकी पालना में उक्त निगरानी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं।

अन्त में निवेदन किया गया है कि संकल्प संख्या 01 दिनांक 25/5/2017 के द्वारा पट्टा संख्या 16 दिनांक 25/5/2017 व इससे संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त फरमाया जावे।

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

निगरानी के संलग्न निगरानीकार ने स्थगन प्रार्थना पत्र, निगरानीधीन पट्टा संख्या 16 दिनांक 25/05/2017, उक्त पट्टे की सम्पूर्ण पत्रावली, जमाबंदी संवत 2072-75 एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात पेश किये है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी गैरनिगरानीकार जारी किये गये। गैर निगरानीकार बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात अधिवक्ता निगरानीकार की बहस एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने कथन किया कि गैरनिगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष भूमि खसरा नम्बर 1235/1057 स्थित भूमि जो बाडे के काम में ली जा रही है, के पट्टे हेतु आवेदन करने पर ग्राम पंचायत द्वारा हल्का पटवारी से रिपोर्ट तलब कर पंचायत नियमों के अनुसार पट्टा संख्या 16 दिनांक 25/05/2017 को 212.33 वर्गगज का जारी किया गया। उक्त पट्टे की शिकायत होने पर पट्टे की विभिन्न स्तर पर जांच की जाकर तहसीलदार द्वारा उक्त पट्टे की जगह को आबादी भूमि में नही मानकर गैर मुमकिन बाडा खसरा नम्बर 1058 जो कि मूलचन्द पुत्र दुलाराम वगैरह के नाम दर्ज है, जिसका पट्टा पंचायती राज प्रावधानों के अनुसार जारी नहीं किया जा सकता। उक्त के आधार पर विकास अधिकारी द्वारा पट्टे को निरस्त करने बाबत निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। विपक्षी संख्या 1 ने वास्तविक तथ्यों को जानते हुये जानबूझकर छुपाकर उक्त अपीलाधीन आदेश नियम विरुद्ध पारित करवा लिया। मौके पर काफी आबादी बसी हुई हैं और उक्त जारी पट्टा को हल्का पटवारी रिपोर्ट के अनुसार आबादी में मानते हुये उक्त पट्टा विपक्षी संख्या 1 को जारी कर दिया गया, जो कि भूमि खसरा नम्बर 1058 की सीमा खसरा नम्बर 1235/1057 में शामिल होने के कारण आबादी में होना मानकर जारी कर दिया गया। चूंकि आबादी और गै०मु० बाडा की भूमि की सीमा का निश्चित चिन्हित नहीं होने के कारण स्पष्ट रूप से आबादी भूमि होना जाहिर तथा हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आबादी में ही होना मानकर उक्त निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानीधीन पट्टा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता निगरानीकार की बहस एकपक्षीय पर मनन किया। हस्तगत निगरानी ग्राम पंचायत ढाणी बोराज द्वारा जारी पट्टा संख्या 16 दिनांक 25/5/2017 के विरुद्ध पेश की गई है। उक्त पट्टे के सन्दर्भ मे तहसीलदार फुलेरा ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि "मुताबिक सीमाज्ञान से ग्राम पंचायत ढाणी बोराज द्वारा जारी उक्त पट्टा ख0 नं0 1058 गै0मु0 बाडा की ही भाग पाया गया जिसकी खातेदारी गुलाब देवी हि0 1/2, मूलचंद हि0 1/2 के नाम दर्ज है। उपरोक्त स्थल ढाणी बोराज की मुख्य आबादी के नजदीक है। चुकी देवी को जारी पट्टे एवं इकरारनामा में अंकित पडोसियान से एक ही स्थल है। मौके पर उक्त पट्टा स्थल पर कोई भवन आदि बने हुए नही है। उक्त स्थल पशुओ के बाडे के काम आ रहा है।"

उक्त रिपोर्ट के आधार पर निगरानीधीन पट्टा खाली भूमि पर जारी किया गया है, जो पंचायती राज अधिनियम की अवहेलना है। पंचायती राज अधिनियम 1996 की धारा 157 (1) व (2) के तहत पंचायत को केवल आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा आबादी भूमि में जारी नही किया गया तथा क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर बाडे की भूमि पर पट्टा जारी कर दिया गया। पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निगरानीधीन पट्टा जारी नही किया गया है, जो प्रारम्भ से शून्य व अवैध है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन पट्टा संख्या 16 दिनांक 25/5/2017 ग्राम पंचायत ढाणी बोराज, पंचायत समिति दूदू तहसील फुलेरा को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18/11/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
[illegible] (तृतीय)